बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

पत्रांकः– 326/त्र.सचिव(ज.) पटना, दिनांक 16/9/19

प्रेषक,

के0 के0 पाठक,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
लघु सिंचाई पमंडल..............।

विषयः–**पंचायतों द्वारा नलकूपों का बिजली बिल भुगतान के संबंध में।**

महाशय,

आप अवगत हैं कि पटवन का समय प्रारंभ हो चुका है और कई जिलों में दो पटवन हो चुका है। नलकूपों को पंचायतों द्वारा व्यापक पैमाने पर चलाया जा रहा है एवं पटवन की जा रही है। स्वाभाविक तौर पर अब इन नलकूपों का बिजली बिल भी आना प्रारंभ हो गया है।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि बिजली बिल हर पंचायत को मासिक रूप से दिया जाय, न कि द्वि–मासिक अथवा त्रै–मासिक। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि पंचायतों द्वारा विद्युत विपत्र समय से भुगतान हो। यदि मुखिया समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो संबंधित नलकूप का विद्युत संबंध विच्छेद किया जाय एवं उक्त मुखिया पर पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाय।

बिजली बिल का भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि बिजली का बिल की गणना ठीक–ठाक हुई है। मैंने पहले भी कई समीक्षात्मक बैठकों में यह कहा है कि प्रतिमाह 750 रू0 से कम का बिजली बिल आता है तो उसे तुरंत बिजली बिल का भुगतान कर दिया जाय। किन्तु यदि 750 रू0 से प्रतिमाह से ज्यादा का बिल आता है तो संबंधित कनीय अभियंता स्थल जाँच करें। नलकूप के स्थल पर जाकर यह देखे कि बिजली का बिल ज्यादा क्यों आ रहा है, कहीं बिजली चोरी या कहीं अन्य प्रयोग में तो नहीं लिया जा रहा है, इसकी तसल्ली भी आवश्यक है।

अतः आपको पुनः निदेशित किया जाता है कि सभी बिजली बिलों का तुरंत भुगतान करें। 750 रू0 प्रतिमाह से ज्यादा आनेवाले बिजली बिलों का भुगतान करने से पहले कनीय अभियंता संबधित स्थल पर जाकर देंखे कि बिजली बिल क्यों ज्यादा आया है। उसके बाद ही बिजली बिल का भुगतान करें।

विश्वासभाजन

(के0 के0 पाठक)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–　　　　　　　　　　　　　　　　　　　पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–प्रबंध निदेशक, उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ अभियंताओं को निदेशित करने की कृपा करें कि वह अपने पंचायतों को मासिक रूप से विद्युत विपत्र दिया करें। 750 रू0 मासिक से अधिक आने वाले विपत्र आने पर बिजली विभाग के अभियंता भी संबंधित नलकूप का स्थल जाँच करें।

प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–　　　　　　　　　　　　　　　　　　　पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः–　　　　　　　　　　　　　　　　　　　पटना, दिनांकः–

प्रतिलिपिः–अपर सचिव(श्री मीणा एवं श्री प्रकाश)/संयुक्त सचिव/मुख्य अभियंता(यो0)/सभी मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता(अनु0)/सभी अधीक्षण अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव।